

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

जयपुर, दिनांक : 02.01.2019

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2019

आदेश

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निम्नांकित अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर प्रशासनिक कारणों से लोक हित में तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं:-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम व पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नवीन पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1.	डा. बालमुकन्द जैतवाल, चि. अ. (अस्थि)	ट्रोमा सेन्टर, जिला चिकित्सालय, ब्यावर, अजमेर	एसडीएच केकडी, अजमेर	रिक्त पद पर
2.	डा. रश्मि सिन्हा, चिकित्सा अधिकारी	जिला चिकित्सालय, ब्यावर, अजमेर	एसडीएच केकडी, अजमेर	रिक्त पद पर
3.	डा. सुधीर माथुर, प्रमुख विशेषज्ञ (मेडिसिन)	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवली, टोंक	एसडीएच केकडी, अजमेर	रिक्त पद पर
4.	डा. सुमन माथुर, वरिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी)	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवली, टोंक	एसडीएच केकडी, अजमेर	रिक्त पद पर
5.	डा. राजेश कुमार गुप्ता, पीसीएमओ (रेडियो-सीसीएफएस)	जिला चिकित्सालय, भीलवाडा	एसडीएच केकडी, अजमेर	रिक्त पद पर
6.	डा. अर्चना मित्तल, कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी)	सैटेलाईट चिकित्सालय, अजमेर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरवाड, अजमेर	रिक्त पद पर
7.	डा. रीटा गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी (गायनी-सीसीएफएस)	जिला चिकित्सालय, भीलवाडा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सावर, अजमेर	रिक्त पद पर
8.	डा. नवनीत बढाया, चिकित्सा अधिकारी (शिशु रोग)	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीनमाल, जालौर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कादेडा, अजमेर	रिक्त पद पर
9.	डा. महावीर शर्मा, चिकित्सा अधिकारी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खानपुर, झालावाड	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भिनाय, अजमेर	रिक्त पद पर

उक्त चिकित्सकों का स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किये जाने के कारण इन्हें नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय होगा।

उक्त आदेश पंचायती राज विभाग की आज्ञा क्रमांक : एफ.4(1)सशक्ति./विधि/पंरा/2018/ 814 दिनांक 16.06.2018 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(2)डीओपी/ए-2/86 दिनांक 08.02.2013 के डीएसीपी नियमों में प्रावधान है कि "if there is no vacancy for granting DACP available, The post held by the candidate shall be converted into the post on which the candidate is to be promoted till he/she will hold that post". कार्मिक विभाग की उक्त अधिसूचना की पालना में उक्त अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन किये गये हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,

41.3~
(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय
2. विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा राज्यमंत्री, महोदय
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
4. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर।
5. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राज.
6. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.
7. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
8. संबंधित अधिकारी
9. कम्प्यूटर सेल/ निजी /रक्षित पत्रावली
10. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

3
(ओ. पी. वर्मा)
शासन सहायक सचिव